[illegible] जिला [illegible]

1. लोलरा कुम्हार तनय जुड़ावन कुम्हार, उम्र 70 वर्ष, पेशा खेती, साकिन सेमरवारा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
2. गुठाली कुम्हार तनय जुड़ावन कुम्हार, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती, साकिन सेमरवारा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।

II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/2447 .... निगराकारगण

बनाम

1. रमेश कुमार प्रजापति तनय सुखलाल प्रजापति, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती, निवासी जवाहरनगर गली नं. 7 सतना, जिला सतना म0प्र0।
2. नथुआ कुम्हार तनय भुरइया कुम्हार, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती, साकिन सेमरवारा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
3. सौखीलाल कुम्हार तनय पुसुन्नी कुम्हार, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती, साकिन सेमरवारा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
4. रमुआ कुम्हार तनय पुसुन्नी कुम्हार, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती, साकिन सेमरवारा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।

.... गैरनिगराकारगण

श्री वी.के. शुक्ला द्वारा आज दि. 19-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 19/4/18

निगरानी विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागौद, जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण कमांक 43अ74/16–17 आदेश दिनांक 2[illegible].03.18 अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता।

(V.K. SHUKLA) 19/4/18

मान्यवर,

सेवा में, निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी हैं कि :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि निगराकार द्वारा आ.नं. 24, 25 स्थित ग्राम इटौरा खुर्द एवं सेमरवारा, तहसील नागौद के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं बंटवारा का दावा प्रस्तुत किया गया था, जो कि दिनांक 17.08.2010 को खारिज हो गया था। जिसके विरुद्ध निगराकारगण द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागौद के न्यायलाय में अपील प्रस्तत की गई है जो कि लम्बित है। जिसमें दिनांक 10.05.18 पेशी नियत है।

2. यह कि दौरान प्रकरण पूरन कुम्हार उर्फ झल्ला जो कि रेस्पा.क्र. [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/2447

लोलरा विरूद्ध रमेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 43/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 05/3/19 सदस्य	